

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी (म0प्र0) :

// विविध-आदेश //

क्रमांक 13 / एक-15-20 / 16
(कार्य विभाजन-2026)

शिवपुरी, दिनांक 19/01/2026

अ- मैं, राजेन्द्र प्रसाद सोनी, सत्र न्यायाधीश शिवपुरी एतद् द्वारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 08(7) एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 10(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, सत्र सम्भाग शिवपुरी में पदस्थ सत्र न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीशगण के मध्य दांडिक कार्य का वितरण/विभाजन निम्नानुसार करता हूँ:-

यह आदेश दिनांक 21.01.2026 से अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा।

इस कार्य वितरण आदेश के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं मामले जिस न्यायालय के न्यायाधीशों के पास लंबित हैं, या प्रस्तुत हुए हैं, उन पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा।

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
1	2	3	4
01	श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	शिवपुरी सत्र संभाग	(1) शिवपुरी सत्र संभाग के सभी न्यायिक दंडाधिकारीगण द्वारा सत्र न्यायालय को उपार्पित समस्त सत्र प्रकरण। (2) शिवपुरी सत्र संभाग के सभी न्यायिक दण्डाधिकारीगण के निर्णयों के विरुद्ध प्रस्तुत दांडिक अपीलें, दांडिक पुनरीक्षण एवं प्रकीर्ण दांडिक कार्यवाहियां। (3) Offences against Women से संबंधित समस्त अपराधों के लिए शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, पोहरी एवं बैराड़ तहसील के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, प्रतिभूति आवेदन पत्र। (4) आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, पोहरी एवं बैराड़ तहसीलों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत)। (5) ऐसे अन्य समस्त मामले जो अन्य न्यायाधीशों को नहीं सौंपे गये हों और सत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र के हों। (6) तहसील शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, पोहरी एवं बैराड़ के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, के द्वारा पारित निर्णय/ दण्डादेश व आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकायें (जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो)।

लगातार.....02

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
1	2	3	4
02	(श्री अशोक कुमार शर्मा(Jr.)) अनन्य विशेष न्यायाधीश अ.जा. और अ.जजा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम शिवपुरी	शिवपुरी सत्र संभाग	(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनन्य विशेष न्यायाधीश की हैसियत से, इस अधिनियम के अधीन दांडिक मामले व प्रतिभूति आवेदन पत्र (पॉक्सो एक्ट, 2012 एवं एससी/एसटी एक्ट, 1989 दोनों अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराधों के तहत दर्ज किये गये मामलों को छोड़कर) (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/1869 दिनांक 18.06.2021 के निर्देशानुसार)। (2) ऐसे सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण दांडिक कार्यवाहियां एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।
03	श्री विवेक शर्मा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, शिवपुरी	शिवपुरी सत्र संभाग (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं म0प्र0 विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982)	(1) शिवपुरी सत्र संभाग के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं म0प्र0 विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 के अधीन उद्भूत होने वाले आपराधिक मामले, प्रतिभूति आवेदन एवं उनसे संबंधित प्रकीर्ण दांडिक कार्यवाहियां। (2) ऐसे सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण दांडिक कार्यवाहियां एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।
04	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	—	“रिक्त न्यायालय”
05	श्री विधान माहेश्वरी, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिसूचित विशेष न्यायाधीश एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधि0 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, शिवपुरी	1—एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए सत्र संभाग शिवपुरी 2— पॉक्सो एक्ट, 2012 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के अंतर्गत शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, पोहरी, बैराड़ तहसील	(1) ऐसे सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, प्रतिभूति आवेदन जो सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। (2) Offences against Women से संबंधित ऐसे सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, प्रतिभूति आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
		3- पॉक्सो एक्ट, 2012 एवं एससी/एसटी एक्ट, 1989 दोनों अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराधों के अंतर्गत सत्र संभाग शिवपुरी	<p>(3) शिवपुरी सत्र संभाग के अंतर्गत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश की हैसियत से उक्त एक्ट के अधीन आपराधिक मामले, प्रतिभूति आवेदन एवं उनसे संबंधित प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां। (माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक C/2058/(NDPS)/III-6-3/89 dated 06-03-2025 द्वारा अधिसूचित)</p> <p>(4) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित मामले एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक B/8260/(Exclusive POC SO)III-6-5/2010(FTSCS) C.S.S. दिनांक 28.11.2025)।</p> <p>(5) पॉक्सो एक्ट, 2012 एवं अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 दोनों अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराधों के तहत दर्ज किये गये मामले/ शिकायत के आधार पर दर्ज परिवाद एवं प्रतिभूति आवेदन (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/1869 दिनांक 18.06.2021 के निर्देशानुसार)।</p> <p>(6) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 (2006 का 4) के अंतर्गत सभी न्यायिक दंडाधिकारीगण द्वारा विशेष सत्र न्यायालय को समर्पित समस्त विशेष सत्र प्रकरण।</p>
06	श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं विद्युत अधिनियम-2003 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, शिवपुरी	शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, पोहरी, बैराड़ तहसील	<p>(1) ऐसे सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, प्रतिभूति आवेदन जो सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(2) Offences against Women से संबंधित ऐसे सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, प्रतिभूति आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(3) विद्युत अधिनियम-2003 के अंतर्गत (समक्ष कॉल-103 में दर्शित क्षेत्राधिकार से संबंधित) प्रस्तुत परिवाद पत्र व मामले। (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक B/1947/III-6-4/2003 dated 23-04-2025 द्वारा अधिसूचित)</p>

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
07	श्री अरुण कुमार सिंह, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश म. प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 एवं विशेष न्यायाधीश म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, शिवपुरी	शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, पोहरी, बैराड़ तहसील	<p>(1) म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश की हैसियत से उक्त अधिनियम के अधीन आपराधिक मामले व प्रतिभूति आवेदन एवं उनसे संबंधित प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां। (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक C/2056/ III-6-4/81 dated 06-03-2025 द्वारा अधिसूचित)</p> <p>(2) ऐसे सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, प्रतिभूति आवेदन जो सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(3) शिवपुरी सत्र संभाग के अंतर्गत उद्भूत म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण। (म0प्र0 शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना फा0 क्र0 1-3-2004/4823 /2019 /21-ब (एक) दिनांक 14.10.2019 के अनुक्रम में)</p> <p>(4) जिला मुख्यालय शिवपुरी पर पूर्व में पदस्थ रहे अपर सत्र न्यायाधीश/प्रशिक्षु अपर सत्र न्यायाधीश, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।</p>
08	श्री राजीव राव गौतम, षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, पोहरी एवं बैराड़	<p>(1) ऐसे सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, प्रतिभूति आवेदन जो सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(2) Offences against Women से संबंधित ऐसे सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, प्रतिभूति आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।</p>
09	श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया, सप्तम् अपर सत्र न्यायाधीश एवं जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सुनवाई हेतु पदांकित न्यायाधीश शिवपुरी	तहसील शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, पोहरी एवं बैराड़	<p>(1) उक्त क्षेत्राधिकार के (ऐसे जघन्य मामले जो दर्शित कर पेश किये जावें) जघन्य एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण एवं प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां। (विशेष अधिनियमों में चिन्हित एवं घोषित जघन्य एवं सनसनीखेज विशेष न्यायालय के क्षेत्राधीन प्रकरणों को छोड़कर)। (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक सी/1336/तीन -2-41/76 दिनांक 21.03.2017 के निर्देशानुसार)</p> <p>(2) ऐसे सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, प्रतिभूति आवेदन जो सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।</p>

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
			(3) Offences against Women से संबंधित ऐसे सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, प्रतिभूति आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।
10	श्री किशोर कुमार गहलोत, अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम-2003, पिछोर	तहसील पिछोर एवं खनियाधाना	<p>(1) म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश की हैसियत से उक्त अधिनियम के अधीन आपराधिक मामले व प्रतिभूति आवेदन। (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक A/2830/ III-6-4/81 dated 10-04-2024 द्वारा अधिसूचित)</p> <p>(2) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत तहसील पिछोर एवं खनियाधाना से उत्पन्न परिवाद पत्र व मामले। (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/7675/तीन-6-4/2003 दिनांक 06.11.2024 द्वारा अधिसूचित)।</p> <p>(3) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित मामले एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र।</p> <p>(4) ऐसे सत्र मामले, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, प्रतिभूति आवेदन (तहसील खनियाधाना से संबंधित) एवं जो सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(5) तहसील खनियाधाना के क्षेत्राधिकार अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482, 483 के अंतर्गत फाइल होने वाले प्रतिभूति आवेदन पत्र।</p> <p>(6) तहसील खनियाधाना के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, के द्वारा पारित निर्णय/दण्डादेश व आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकायें (जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो)।</p> <p>(7) तहसील पिछोर पर पदस्थ रहे अपर सत्र न्यायाधीश, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।</p>
11	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सीनि.), अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, पिछोर	—	<p>(1) ऐसे सत्र मामले, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, प्रतिभूति आवेदन (तहसील पिछोर से संबंधित) एवं जो सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>नोट:—पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों को छोड़कर।</p>

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
			<p>(2) तहसील पिछोर के क्षेत्राधिकार अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482, 483 के अंतर्गत फाइल होने वाले प्रतिभूति आवेदन पत्र। नोट:—पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रतिभूति आवेदनों को छोड़कर।</p> <p>(3) तहसील पिछोर के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, के द्वारा पारित निर्णय/दण्डादेश व आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकायें (जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो)।</p>
12	श्री दिनेश कुमार खटीक, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधि- 2003, करैरा	तहसील करैरा एवं नरवर	<p>(1) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित मामले एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र।</p> <p>(2) ऐसे सत्र मामले, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, प्रतिभूति आवेदन (आरक्षी केन्द्र नरवर, दिनारा एवं सीहोर के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत) एवं जो सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482, 483 के अंतर्गत फाइल होने वाले प्रतिभूति आवेदन पत्र (आरक्षी केन्द्र नरवर, दिनारा एवं सीहोर के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत)।</p> <p>(4) अनुविभागीय दण्डाधिकारी, के द्वारा पारित निर्णय/दण्डादेश व आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकायें (जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो)।</p> <p>(5) तहसील करैरा पर पदस्थ रहे अपर सत्र न्यायाधीश, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>(6) विद्युत अधिनियम-2003 के अंतर्गत तहसील करैरा एवं नरवर से उत्पन्न परिवाद पत्र व मामले। (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक B/1947/III-6-4/2003 dated 23-04-2025 द्वारा अधिसूचित)।</p>
13	श्रीमती मोनिका आध्या, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम-1981, करैरा	—	<p>(1) ऐसे सत्र मामले, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, प्रतिभूति आवेदन (आरक्षी केन्द्र करैरा, अमोला एवं आबकारी वृत्त-करैरा के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत) एवं जो सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावें। नोट:—पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों को छोड़कर।</p>

कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
			<p>(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482, 483 के अंतर्गत फाइल होने वाले प्रतिभूति आवेदन पत्र (आरक्षी केन्द्र करैरा, अमोला एवं आबकारी वृत्त-करैरा के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत)।</p> <p>नोट:-पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रतिभूति आवेदनों को छोड़कर।</p> <p>(3) म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश की हैसियत से उक्त अधिनियम के अधीन आपराधिक मामले व प्रतिभूति आवेदन।(माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक A/2861/III-6-4/81 dated 24-04-2025 द्वारा अधिसूचित)।</p>
14	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश	—	“रिक्त न्यायालय”

ब — मैं, राजेन्द्र प्रसाद सोनी, सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 08(7) एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 10(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, यह आदेश देता हूँ कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. 2 में दर्शाये गये न्यायिक अधिकारी की किसी प्रकार की अनुपस्थिति एवं अवकाश काल में नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. 03, 04 एवं 05 में क्रमशः वर्णित न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक आपराधिक कार्य का निपटारा करेंगे।

क.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटायेंगे			
01	(श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी) सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री अशोक कुमार शर्मा(Jr.)) अनन्य विशेष न्यायाधीश अ. जा. और अ.जजा.(अत्याचार निवारण) अधिनियम, शिवपुरी	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया) चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	
		<p>नोट 1:- सेशन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा प्रशासकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में समान अभियुक्त/आवेदक द्वारा प्रस्तुत होने वाले द्वितीय/तृतीय नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र अथवा अग्रिम प्रतिभूति आवेदन पत्र उसी न्यायालय में अन्तरित माने जावेंगे जिस न्यायालय में वे प्रथम बार निराकृत किये गये हों। (जिसमें सहअभियुक्त द्वारा समान अपराध में प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन भी सम्मिलित है)</p>			

क.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटावेंगे			
02	(श्री अशोक कुमार शर्मा(Jr.)) अनन्य विशेष न्यायाधीश अ.जा. और अ.जजा.(अत्याचार निवारण) अधिनियम शिवपुरी	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया) चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री अरुण कुमार सिंह) पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	नोट— माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक सी/2264/तीन-6-3/90 दिनांक 14.09.2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी/1654/तीन-6-3/89 दिनांक 18.04.2022 के अनुक्रम में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, शिवपुरी की किसी भी कारण से अनुपलब्धता में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले एवं लंबित, आवश्यक प्रकृति के आवेदनों का निराकरण उपरोक्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कार्यभारित न्यायाधीशगण की अनुपलब्धता में मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा एवं उनकी अनुपलब्धता में उनके पदानुक्रम में सत्र खण्ड में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश द्वारा और उपरोक्त सभी की अनुपलब्धता में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रयोजन के लिए अपर सत्र न्यायालय (उक्त विशेष न्यायालय) का पीठासीन अधिकारी/न्यायाधीश माना जायेगा।
03	श्री विवेक शर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, शिवपुरी	(श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया) चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया) सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री विधान माहेश्वरी), तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी	नोट— माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक सी/2262/तीन-6-3/89 दिनांक 14.09.20 एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी/1654/तीन-6-3/89 दिनांक 18.04.2022 के अनुक्रम में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, शिवपुरी की किसी भी कारण से अनुपलब्धता में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले एवं लंबित, आवश्यक प्रकृति के आवेदनों का निराकरण मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश (जिसमें एस0सी0/एस0टी0 अधि0 के अंतर्गत गठित अनन्य/विशेष न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं) द्वारा एवं उनकी अनुपलब्धता में उनके पदानुक्रम में सत्र खण्ड में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे प्रयोजन के लिए सत्र न्यायालय (उक्त विशेष न्यायालय) का पीठासीन अधिकारी/न्यायाधीश माना जायेगा।
04	श्री विधान माहेश्वरी, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिसूचित विशेष न्यायाधीश एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधि0 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री अरुण कुमार सिंह) पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया) चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	नोट— माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक सी/2262/तीन-6-3/89 दिनांक 14.09.20 एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी/1654/तीन-6-3/89 दिनांक 18.04.2022 के अनुक्रम में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, शिवपुरी की किसी भी कारण से अनुपलब्धता में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले एवं लंबित, आवश्यक प्रकृति के आवेदनों का निराकरण मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश (जिसमें एस0सी0/एस0टी0 अधि0 के अंतर्गत गठित अनन्य/विशेष न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं) द्वारा एवं उनकी अनुपलब्धता में उनके पदानुक्रम में सत्र खण्ड में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे प्रयोजन के लिए सत्र न्यायालय (उक्त विशेष न्यायालय) का पीठासीन अधिकारी/न्यायाधीश माना जायेगा।

क.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटारेंगे		
05	(श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया) चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम-2003, शिवपुरी	(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया) सप्तम् अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री विधान माहेश्वरी) तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री राजीव राव गौतम) षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी
06	(श्री अरुण कुमार सिंह) पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 एवं विशेष न्यायाधीश म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, शिवपुरी	(श्री राजीव राव गौतम) षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया) सप्तम् अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी
07	(श्री राजीव राव गौतम) षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री विधान माहेश्वरी) तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया) चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया) सप्तम् अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी
08	(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया) सप्तम् अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री अरुण कुमार सिंह) पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री विधान माहेश्वरी) तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री राजीव राव गौतम) षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी
09	(श्री दिनेश कुमार खटीक) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम-2003, करैरा	(श्रीमती मोनिका आध्या) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, करैरा	(श्री किशोर कुमार गहलोत) अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर	श्री राजेश कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, पिछोर
10	(श्रीमती मोनिका आध्या) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम-1981, करैरा	(श्री दिनेश कुमार खटीक) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, करैरा	श्री राजेश कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, पिछोर	(श्री किशोर कुमार गहलोत) अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर
11	(श्री किशोर कुमार गहलोत) अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम - 1981 एवं विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम-2003, पिछोर	श्री राजेश कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, पिछोर	(श्री दिनेश कुमार खटीक) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, करैरा	(श्रीमती मोनिका आध्या) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, करैरा

क.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटायेंगे		
12	श्री राजेश कुमार अग्रवाल(सीनि.), अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, पिछोर	(श्री किशोर कुमार गहलोत) अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर	(श्रीमती मोनिका आध्या) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, करैरा	(श्री दिनेश कुमार खटीक) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, करैरा

नोट :-

- 01— उपरोक्त तालिका के कमांक 3, 4 व 5 पर अंकित न्यायिक अधिकारीगण के भी अनुपस्थिति/अवकाश पर होने की स्थिति में जिला मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के पास अत्यावश्यक कार्य का प्रभार रहेगा।
- 02— जिला मुख्यालय शिवपुरी, तहसील करैरा एवं पिछोर पर अपर सत्र न्यायालय/फास्टट्रेक के रिक्त न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां उन्हीं न्यायिक अधिकारीगण द्वारा संपादित की जावेगीं जिनके पास रिक्त न्यायालयों का प्रभार सौंपा गया है।

—sd—
(राजेन्द्र प्रसाद सोनी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी (म.प्र.)